वेब परिचालन

Azadi Ka Amrit Mahotsav G20

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सत्यमेव जयते

संख्या: हि.अ./रा.भा.सम्मेलन-17/मुख्यालय/2024/1222 दिनांक: 24 JAN 2025

24 JAN 2025

सेवा में,

सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्या.) /
अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल)/ निदेशक, पीडीनास,
अपर भविष्य निधि आयुक्त, मुख्यालय (प्र.से.प्र.)
सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (क्षेत्रीय कार्यालय/आं.प्र.सं.)

विषय: राजभाषा सम्मेलन के आयोजन के संबंध में।

महोदय/ महोदया,

जैसा कि विदित है राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों और संसदीय राजभाषा समिति के निदेशानुसार राजभाषा के प्रगामी प्रयोग पर चर्चा/ विचार-विमर्श हेतु संगठन में वार्षिक राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया जाता है। राजभाषा सम्मेलन के और अधिक व्यापक परिपेक्ष्य में आयोजित किए जाने के प्रयोजन से ताकि इस सम्मेलन में अधिक से अधिक राजभाषा कर्मियों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त महोदय ने वर्ष में चार राजभाषा सम्मेलन आयोजित किए जाने का निर्णय लिया है । इस प्रयोजन हेतु संगठन को चार क्षेत्रों (उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम) में बांटा गया है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण के आंचलिक कार्यालयों की सूची परिशिष्ट -1 में अलग से दी गई है । सम्मेलन हेतु क्षेत्र के आंचलिक कार्यालय का चुनाव मुख्यालय द्वारा किया जाएगा।

2. इन राजभाषा सम्मेलनों में क्षेत्र विशेष के हिंदी से जुड़े सभी राजभाषा कर्मी अर्थात् निदेशक (राजभाषा), उप निदेशक (राजभाषा), सहायक निदेशक (राजभाषा), वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी एवं कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी शामिल किए जाएंगे। चूंकि अभी हाल ही में बहुत से कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों ने कार्यभार ग्रहण किया है अत: इन सभी को राजभाषा सम्मेलन में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना है ।

3. ये राजभाषा सम्मेलन उक्त क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी एक आंचलिक कार्यालय की मेजबानी में आयोजित किए जाएंगे और एक-एक करके सभी अंचलों को मेजबानी का अवसर दिया जाएगा। चूंकि ईपीएफओ के सभी कार्यालयों को 04 क्षेत्रों में बांटा गया है अत: एक तिमाही में एक ही क्षेत्र में राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा सकेगा। ये सम्मेलन अगले आदेशों तक इसी प्रकार आयोजित किए जाएंगे तथा मेजबानी की सूचना मुख्यालय द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाएगी ।

4. वर्ष 2025 में निम्नलिखित आंचलिक कार्यालयों द्वारा उनके समक्ष दर्शाए गए तिमाही में राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा:

क्र.सं.	तिमाही	मेजबान कार्यालय
1.	जनवरी से मार्च, 2025	आंचलिक कार्यालय, अहमदाबाद
2.	अप्रैल से जून, 2025	आंचलिक कार्यालय, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश
3.	जुलाई से सितंबर, 2025	आंचलिक कार्यालय, कोलकाता
4.	अक्तूबर से दिसंबर, 2025	आंचलिक कार्यालय, तिरूवनंतपुरम

5. संबंधित आंचलिक कार्यालय अपनी सुविधानुसार स्थान एवं समय निर्धारित करेंगे और यथासमय मुख्यालय को अवगत कराएंगे । इस अवसर पर मुख्यालय के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे।

7. तदनुसार सभी संबंधित आंचलिक कार्यालय, वर्ष 2025 हेतु निर्धारित अवधि के दौरान अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सम्मिलित करते हुए उपर्युक्त रूपरेखा के अनुसार सम्मेलन का आयोजन सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में मुख्यालय को भी यथासमय अवगत कराएं ।

(केंद्रीय भ.नि. आयुक्त के अनुमोदन से जारी)

भवदीय,

संलग्न: यथोपरि ।

(भास्कर चौर्डिया)
अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्या.)
/ प्रभारी राजभाषा

प्रतिलिपि:

1. अपर केंद्रीय भ.नि. आयुक्त, आंचलिक कार्यालय, अहमदाबाद- सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
2. अपर केंद्रीय भ.नि. आयुक्त, आंचलिक कार्यालय, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
3. अपर केंद्रीय भ.नि. आयुक्त, आंचलिक कार्यालय, कोलकाता - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
4. अपर केंद्रीय भ.नि. आयुक्त, आंचलिक कार्यालय, तिरूवनंतपुरम- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
5. सभी उप निदेशक (राजभाषा)/ सहायक निदेशक (राजभाषा)/ वरिष्ठ/कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
6. क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त, एनडीसी को वेब अपलोड के अनुरोध सहित ।

परिशिष्ट -1

उत्तरी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिण क्षेत्र
1. मुख्यालय **आंचलिक कार्यालय** 2. दिल्ली एवं उत्तराखंड और जम्मू 3. हरियाणा 4. पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश 5. उत्तर प्रदेश 6. पीडीनास	**आंचलिक कार्यालय** 1. बिहार एवं झारखंड 2. पूर्वोत्तर क्षेत्र 3. ओडिशा, 4. पश्चिम बंगाल	**आंचलिक कार्यालय** 1. गुजरात 2. मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ 3. मुंबई-।, थाणे 4. मुंबई-2 बांद्रा 5. पुणे 6. राजस्थान	**आंचलिक कार्यालय** 1. आंध्र प्रदेश 2. तेलंगाना 3. बैगंलुरू 4. हुबली एवं गोवा 5. चेन्नई एवं पुदुचेरी 6. कोयंबतूर 7. केरल एवं लक्ष्यद्वीप